न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकरीः– श्री राम किशोर (उच्चतर न्यायिक सेवा)

वाद संख्या– 269 /2014

सर्वेन्द्र सिंह, उम्र–36 वर्ष, पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी–कृष्णानगर मण्डी समिति पुखरायां, पोस्ट–पुखरायां,थाना–भोगनीपुर, जिला–कानपुर देहात। .....प्रार्थी।

बनाम

श्रीमती ममता देवी, उम्र– 36 वर्ष, पत्नी सर्वेन्द्र सिंह, पुत्री श्री विशम्भर सिंह, निवासिनी ग्राम व पोस्ट– हथेही, थाना–घाटमपुर, जिला –कानपुर नगर। ..विपक्षी।

अन्तर्गत धारा–13 हिन्दू विवाह अधिनियम।

निर्णय

प्रस्तुत वाद, प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–13 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत, विवाह विच्छेद हेतु दाखिल किया गया है।

संक्षेप में वाद का तथ्य यह है कि प्रार्थी का विवाह दिनांक 02.07.1997 ई० को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विपक्षी के साथ बिना दान–दहेज व लेन–देन के साधारण तरीके से सम्पन्न हुआ था। दिनांक 03.07.1997 को विपक्षी विदा होकर उसके साथ उसके निवास पर आयी थी। विपक्षी का स्वभाव झगड़ालू किस्म का है, तथा वह एक साधारण परिवार से सम्बन्ध रखता है और संयुक्त परिवार के रूप में उसका परिवार रह रहा है, जो विपक्षी को बिल्कुल पसन्द नहीं आया। विपक्षी ने ससुराल आते ही पारिवारिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपनी मर्जी से रहना शुरू कर दिया, मना करने पर वह उसे तथा पूरे परिवार को झूँठे मुकदमें में फंसाकर जेल भिजवा देने की धमकी देती थी। धमकी भरे शब्दों को सुनकर विपक्षी पर प्रार्थी को अचम्भा हुआ, जिसकी सूचना उसने विपक्षी के

माँ–बाप को दी। शादी के बाद से विपक्षी ने, न तो पत्नी धर्म का पालन किया, न ही उसे पारिवारिक सुख ही दिया, जब कि उसके द्वारा विपक्षी को लगातार समझाने का प्रयास किया गया किन्तु विपक्षी ने एक बात भी नहीं सुनी तथा उसके साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार करते हुए, मार पीट भी शुरू कर दी। विपक्षी बात–बात पर पूरे परिवार को गाली–गलौज करती थी एवं पारिवारिक सदस्यों को अपमानित करना उसकी दिनचर्या में आ गया था। विपक्षी के माँ–बाप ने उसे समझाने का प्रयास नहीं किया, जिससे विपक्षी के हौसले बढ़ते गये। प्रार्थी ने उसे खुश रखने का काफी प्रयास किया लेकिन विपक्षी ने उसे नजदीक आने नहीं दिया। घटना की सम्पूर्ण जानकारी विपक्षी के पिता को थी किन्तु उन्होंने विपक्षी को समझाने की अपेक्षा उसका ही साथ दिया। दिनांक 16.10.2009 को विपक्षी अपने पिता के साथ समस्त जेवरात, कपड़े एवं स्त्रीधन लेकर अपने मायके चली गयी, तब से वह न तो वापस आयी और न ही विपक्षी को उसके पिता ने भेजा। विपक्षी ने मायके जाने के बाद गुजारा भत्ता वाद, घरेलू हिंसा, उसके रिस्तेदारों को पक्षकार बनाकर मानसिक परेशान करने का कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद भी उसने विपक्षी को रखने का प्रयास किया। न्यायालय ए०डी०जे० प्रथम, कानपुर देहात के न्यायालय से समझौते के आधार पर प्रार्थी सीधे न्यायालय से विपक्षी को अपने साथ रखने के लिए इटावा ले गया किन्तु विपक्षी वहाँ पर भी नहीं रही और समस्त सामान बेंचकर वहाँ से भाग गयी। विपक्षी ने प्रार्थी को परेशान करने के लिए अन्तरिम गुजारा भत्ता बँधवा लिया, जिसको वह लगातार दे रह है। विपक्षी ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्रार्थी के विरूद्ध मुबलिग 40,000/–रूपये की रिकवरी जारी करवा दी। प्रार्थी के विरूद्ध महिला उत्पीड़न के मुकदमें में मुबलिग 4,000/–रूपये अन्तरिम गुजारा–भत्ता का आदेश करवा लिया। विपक्षी उसे लगातार शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान कर रही है और वह बिना किसी कारण के उससे दूर रह रही है। पक्षकारों में कोई दुरभि सन्धि नहीं है। वाद का कारण दिनांक 02.07.1997 को तब उत्पन्न हुआ जब उसका विवाह विपक्षी के साथ हुआ। दिनांक 16.10.2009 को तब उत्पन्न हुआ जब वह समस्त जेवरात, कपड़ा व स्त्रीधन लेकर अपने मायके चली गयी। अतः प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.07.1997 को विपक्षी के साथ हुए विवाह को विच्छेदित करने की याचना की।

वादपत्र 3 क, शपथपत्र 4 क द्वारा समर्थित है।

विपक्षी द्वारा जबाबदावा13 क दाखिल कर वादी के साथ शादी होने तथा विदा होकर उसके साथ निवास स्थान जाने के कथन, गुजारा भत्ता व घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल करना स्वीकार किया गया है। शेष तथ्यों से इंकार करते हुए कहा है कि अन्तरिम गुजारा भत्ता देने व घरेलू हिंसा के मुकदमें में आदेश पारित करने का अधिकार न्यायालय को है। विपक्षी वादी के साथ रहने इटावा गयी किन्तु वादी उसे एक कमरे में छोड़कर वापस अपने गांव माता–पिता व भाभी के पास चला आया और पति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। वादी तथा उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा विपक्षी के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्रूरता कारित की गयी, जिससे उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो सके। विपक्षी के पास कोई स्त्रीधन नहीं है, वादी व उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा छीन लिया गया है। शादी की तिथि से दिनांक 12.01.2010 तक विपक्षी उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रताड़नाओं को सहते हुए संस्कारित पत्नी व बहू के कर्तव्यों का निर्वहन करती रही। दिनांक 17.07.2010, 18.07.2010 को विपक्षी अपने रिस्तेदारों, भाईयों के साथ ससुराल सुलह समझौता करके, रहने के लिए गयी किन्तु वादी व उसके परिवार के सदस्यों ने उसे गाली गलौज कर घर से भगा दिया और कहा कि मैं तुझे किसी सूरत में नहीं रखूँगा, तब से वह अपने मायके में रह रही है। वादी ने विपक्षी का समस्त जेवरात, स्त्रीधन छीनकर उसे बेंचकर बुलेरो गाड़ी खरीद लिया है। वादी की नौकरी शादी के 4–5 साल बाद अड़तीसवी बटालियन पी०ए०सी०अलीगढ़ में लग गयी है। नौकरी लगने के बाद ज्यादा दहेज लेकर वादी व उसके पारिवारिक सदस्य दूसरी शादी करने और उसे रास्ते से हटाने के प्रयास में है। विपक्षी की शादी के 18 साल हो चुके है, वह अपने पति के साथ रहने व पत्नी धर्म का पालन करने के लिए तैयार है किन्तु वादी के पिता, भाभी उसका जीवन बर्बाद करने पर तुले हुए है। दिनांक 02.07.1997 को सम्पन्न हुए विवाह को वादी मुकदमा को विघटित करने का अधिकार नहीं है। उसके द्वारा वादी के साथ 15 साल तक रहकर दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने का प्रयास किया गया है किन्तु वादी स्वयं पति धर्म का पालन करने से इंकार करता रहा है। वादी को विपक्षी से वाद व्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

अतः विपक्षी द्वारा दावा वादी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। आपत्ति, शपथपत्र 14 क द्वारा समर्थित है।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 25.11.2016 को न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

वाद बिन्दु

1– क्या वादी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर याचित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

2– वादी किसी अन्य अनुतोष , यदि कोई हो, को प्राप्त करने का अधिकारी है?

वादी की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची–5 ख से कागज संख्या–6 ग न्यायालय ए०सी०जे०एम०तृतीय में दाखिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–125 दण्ड प्रक्रिया संहिता की की छाया प्रति, कागज संख्या–7 ग पारिवारिक न्यायालय कानपुर देहात में धारा–125(3)दण्ड प्रक्रिया संहिता की की छाया प्रति, कागज सं० 8 ग/1 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं03, रमाबाई नगर में श्रीमती ममता देवी बनाम सर्वेन्द्र सिह में पारित नकल आदेश दिनांक 12.1.12 की छाया प्रति, कागज संख्य–9 ग न्यायालय ए०डी०जे० प्रथम में क्रि०रि०सं० 40/12, सर्वेन्द्र सिंह बनाम ममता उभयपक्ष की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, कागज संख्या–10 ग न्यायालय सी०जे०एम० में दाखिल परिवाद अन्तर्गत धारा–12,17,18,19,20 व 22 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की छाया प्रति, कागज संख्या–11 ग न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट घाटमपुर, कानपुर देहात में मु०नं0693/13, ममता बनाम सर्वेन्द्र सिंह, धारा–12 घरेलू हिंसा के नकल आदेश दिनांक 19.08.13 की छाया प्रति एवं सूची से भारतीय स्टेट बैंक के विवरण की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

प्रतिवादिनी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

वादी की तरफ से मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं को पी०डब्लू–1 के रूप में , प्रताप सिंह को पी०डब्लू–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

प्रतिवादिनी की तरफ से मौखिक साक्ष्य के रूप मे स्वयं को डी०डब्लू–1 के रूप में, इन्द्रजीत को डी०डब्लू–2 के रूप में, इन्द्रसेन को डी०डब्लू–3 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

उभयपक्ष को मौखिक रूप से सुना गया एवं अभिलेख का सम्यक् अनुशीलन किया।

वाद बिन्दु, प्रस्तुत तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जा सकते वह निम्नलिखित है:–

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–1</u>

क्या वादी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर याचित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है कि वादी व विपक्षी के मध्य सम्पन्न हुए विवाह दिनांक 02.07.1997 को विच्छेदित कराकर, डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी ने अपने वादपत्र के प्रस्तर–1 में यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह विपक्षी के साथ दिनांक 02.07.1997 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार बिना दान–दहेज व लेन–देन के साधारण तरीके से सम्पन्न हुआ था तथा वह विदा होकर दिनांक 03.07.1997 को उसके निवास स्थान पर आयी थी, जिसे विपक्षी ने अपने प्रतिवादपत्र के प्रस्तर–1 व 2 में स्वीकार किया है। वादी व विपक्षी दोनों ने अपने साक्ष्य शपथपत्र व प्रतिपरीक्षा में दिनांक 02.07.1997 को शादी होना स्वीकार किया है यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी व प्रतिवादिनी के बीच दिनांक 02.07.1997 को विवाह सम्पन्न हुआ था। स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे यह देखना है कि क्या मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्यों से वादी विवाह विच्छेदित करा पाने का अधिकारी है। इस सम्बन्ध में मैंने वादपत्र में कहे गये कथनों का अवलोकन किया। वादी ने अपने वादपत्र में अभिकथन कथन किया है कि वह संयुक्त परिवार में रह रहा है, जब कि विपक्षी झगड़ालू किस्म की महिला है जो उसे पसन्द नहीं आया और ससुराल आते ही उसने पारिवारिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपनी मर्जी से रहना शुरू कर दिया, मना करने पर, झूँठे मुकदमें में फंसाकर पूरे परिवार को जेल भिजवा देने की धमकी देती थी। शादी के बाद से ही

विपक्षी पत्नी धर्म का पालन नहीं करती थी, समझाने पर उसकी एक भी बात नहीं सुनती थी और उसके साथ गाली–गलौज करते हुए अमानवीय तरीके से व्यवहार करते हुए, मार पीट भी करती थी। विपक्षी के उक्त कृत्य की सूचना उसके माँ–बाप को दी, किन्तु उन्होने विपक्षी को समझाने का प्रयास नहीं किया, जिससे उसके हौसले बढ़ गये। दिनांक 16.10.2009 को विपक्षी अपने पिता के साथ समस्त जेवरात, कपड़े, स्त्रीधन लेकर अपने मायके चली गयी, तब से वह वापस नहीं आयी और न ही उसके पिता ने उसको भेजा।

विपक्षी ने अपने प्रतिवादपत्र में अभिकथन किया है कि वादी की नौकरी शादी के 4–5 साल बाद अड़तीसवी बटालियन पी०ए०सी०अलीगढ़ में लग गयी थी और वह नौकरी लगने के बाद से ही वादी तथा उसके पारिवारिक सदस्य ज्यादा दहेज लेकर वादी की दूसरी शादी करने तथा उसे रास्ते से हटाने के प्रयास में थे। शादी की तिथि से दिनांक 12.01.2010 तक विपक्षी उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ रही। अतः जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादिनी शादी के बाद सन् 02.07.1997 से लेकर के 12.01.2010 तक अपने पति के घर पर और मायके में आती जाती रही है परन्तु दोनों के संसर्ग से कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। पी०डब्लू–1 वादी मुकदमा ने अपने जिरह में यह कथन किया है कि मेरे द्वारा कभी भी अपनी पत्नी को साथ रखने से मना नहीं किया गया है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि मेरी पत्नी ममता मेरे संयुक्त परिवार में सन् 2010 तक रहती रही है परन्तु दिनांक 17/18.07.10 को ममता उसका भाई व पिता व सम्बन्धी समझौता के लिए उसके घर नहीं गये थे, उसके घर केवल ममता के भाई व सम्बन्धी आये थे और कहा था कि अपनी पत्नी को अपने साथ रखो। मैंने व उसके पिता ने उसे साथ में रखने के लिए मना नहीं किया था। मैंने अपनी पत्नी को शादी से लेकर सन्2010 तक अपने साथ नौकरी के स्थल पर इसलिए नहीं रखा कि मैं स्पोर्टस व बाहर कम्पनी में रहता था एक साल में दो महीने लगभग कम्पनी बटालियन में लौटता था। बाकी समय बाहर ही रहता था। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पति द्वारा पतिधर्म का पालन किया गया है। पत्नी को 1997 से लेकर के जनवरी 2010 तक संयुक्त परिवार में रखा है। छुट्टी से आने पर साथ में रहता भी था। 2010 के बाद पत्नी द्वारा पति के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा, धारा–125

दण्ड प्रक्रिया संहिता का मुकदमा दाखिल किया गया था और अपने पति के साथ जाने से इंकार कर दिया गया था और लगभग 10 वर्षों से वह पति से बिना किसी कारण के अलग रह रही है। पति ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि शादी के 5–6 साल बाद से मेरे पत्नी ने पारिवारिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपनी मर्जी से रहने लगी थी। पारिवारिक मर्यादाओं का मतलब है, जिनसे मेरी लड़ाई है उनसे बातचीत करना, जिस व्यक्ति के पास जाने से मना करते थे, उनके साथ साधु महात्माओं के पास जाना, जादू टोना करवाना यही सब आता है। इस बयान से भी यह स्पष्ट है कि पति द्वारा अपनी पत्नी को साथ रखने का भरसक प्रयास किया गया है। उसने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि मैंने व मेरे पिता ने पत्नी को कभी साथ रखने से मना नहीं किया था। चूँकि अड़तीसवी वाहनी पी०ए०सी० में रहने के कारण मुझे साथ रहने का मौका नहीं मिला, जब भी छुट्टी होती थी, मैं घर पर आता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पति द्वारा न्यायालय के द्वारा गुजारा भत्ता मुकदमा में दिये गये आदेश का अनुपालन करते हुए पाँच हजार रूपये प्रतिमाह पत्नी को दिया जा रहा है। इस बात की स्वीकारोक्ति डी०डब्लू–1 ममता ने व उसके भाई डी०डब्लू–2 ने अपनी जिरह में किया है,साथ ही साथ बीच में भी भरण पोषण की राशि पत्नी द्वारा न लिये जाने पर चालीस हजार रूपये का रिकबरी वारण्ट भी प्रतिवादिनी द्वारा कराया गया है। जब कि पति द्वारा बराबर समय से पैसा दिया जाता रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादिनी किसी भी तरीके से कोई भी अवसर पति वादी को हैरान, परेशान करने के लिए जो उपलब्ध होता हो उसे नहीं छोड़ती थी। शादी हुए लगभग 23 वर्ष हो चुके है जिसमें पत्नी 10 वर्ष से अलग रह रही है, साथ ही साथ पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता की राशि बढ़ाये जाने हेतु धारा–127 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय के यहाँ मुकदमा भी किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादिनी किसी भी तरीके से अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और केवल व येन केन प्रकारेण अपने पति से अधिक से अधिक गुजारा भत्ता प्राप्त करना चाह रही है। चूँकि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि पति की तरफ से अपनी पत्नी को साथ रखने व पत्नी धर्म का पालन करने

के कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से किया गया है। पत्नी के कहने पर उसके द्वारा इटावा में नियुक्त के दौरान 3–4 महीने के लिए अलग से बाहर कमरा भी लिया गया था, वहाँ भी उसकी पत्नी अपने भाई के साथ गयी और दूसरी औरत रखने का बहाना करके चली आयी, जब कि भाई ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि मैं अपनी बहन को साथ लेकर के वहाँ गया था, वहाँ पर लोगो ने बताया कि सर्वेन्द्र ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने स्वयं वहाँ पर अपनी आँखो से दूसरी औरत को नहीं देखा था। वहाँ के अगल–बगल के लोगो के बताने के आधार पर मैं सुनी–सुनायी बातें बता रहा हूँ, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि पति द्वारा अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह से किया गया है केवल पत्नी द्वारा ही बिना किसी कारण के उससे अलग रहा जा रहा है और बीच–बीच में मुकदमेंबाजी करके तरह–तरह से पति को परेशान किया जा रहा है। पति पी०ए० सी० में नौकरी करता है। उसकी नौकरी इस तरह की है, जिसमें वह पत्नी को साथ नहीं रख पा रहा है। उसके बाबजूद भी जब छुट्टी मिलती थी, वह लगभग 9–10 साल अपने संयुक्त परिवार में पत्नी को रखा था। बीच–बीच में छुट्टी पर आने पर अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों की पूर्ति भी करता रहता था। पी०डब्लू–1 वादी ने अपनी जिरह में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूँछ गये प्रश्न क्या आप शादी के समय से लेकर सन् 2010 तक बाहर रहने के कारण इस दौरान अपनी पत्नी को पति का सुख नहीं दे पाये थे? '' इसके उत्तर में पी०डब्लू–1 ने यह कथन किया है कि नौकरी से एक माह का आकस्मिक अवकाश व अर्जित अवकाश लेकर आता था, तभी पति का सुख दे पाता था। इस कथन से भी यह स्वाभाविक है कि नौकरी में रहने के दौरान मिलने वाली छुट्टी में घर आकर के अपने पति धर्म का पूरी तरह से पालन करता रहा है। डी०डब्लू–1 प्रतिवादिनी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था क्योंकि पति–पत्नी के बीच में कोई बोल–चाल नहीं था। इस कथन को पति के बयान से विरोधाभाषी होने के आधार पर साक्ष्य में ग्राहय किये जाने योग्य नहीं है।

पी०डब्लू–1 खुद वादी व पी०डब्लू–2 के रूप में उसके पिता प्रताप सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने भी अपनी जिरह में यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 16.10.09 के बाद कभी भी ममता को विदा कराने नहीं गया था। शादी के चार साल बाद से सर्वेन्द्र की नौकरी लग गयी थी। पत्नी के कोई बच्चा नहीं है। यह

कहना सही है कि सन्1997 से लेकर 2009 तक सर्वेन्द्र व ममता के ससंर्ग से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। मायके जाने के बाद दहेज उत्पीड़न व मार पीट का मुकदमा ममता ने दर्ज नहीं कराया था। केवल गुजारा भत्ता का मुकदमा दाखिल किया था। घाटमपुर में घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल किया है। पी०डब्लू–2 ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि सर्वेन्द्र जहाँ पर नौकरी करता है, वही रहता है, मैं वहाँ एक बार भी नहीं गया हूँ यह कहना गलत है कि सर्वेन्द्र ने दूसरी शादी कर ली है, फिर कहा कि सर्वेन्द्र ने दूसरी कर ली है या नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं सर्वेन्द्र जहाँ पर नौकरी करता है, वहाँ एक बार भी नहीं गया हूँ। इससे यह स्पष्ट है कि सर्वेन्द्र द्वारा दूसरी शादी नहीं की गयी है केवल कपोल कल्पित आधारों पर ही पत्नी द्वारा उसके ऊपर आरोप लगाया गया है क्योंकि उसकी नौकरी इस प्रकृति की है कि वह अपने साथ अपनी पत्नी को नहीं रख सकता है। जब छुट्टी होती है तब वह घर पर पत्नी के साथ रहने के लिए आता है और संयुक्त परिवार में सभी लोगो के साथ मिलकर छुट्टी बिताता है।

डी०डब्लू–2 के रूप में ममता के भाई इन्द्रजीत सिंह को परीक्षित कराया गया है। उन्होंने भी सर्वेन्द्र ममता की शादी दिनांक 02.07.1997 को होना सही ठहरायी है और उन्होने माना है कि मेरी बहन के कोई बच्चा नहीं है। मेरी बहन मायके में जनवरी 2010 से है। मेरी बहन आखिरी बार मायके में कब आयी थी, मुझे सन् याद नहीं है। मेरी बहन को लगातार मायके में रहते हुए लगभग 9 साल से अधिक हो गये है। इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि सर्वेन्द्र ने चुपके से दूसरी शादी कर ली है। मैने सर्वेन्द्र की दूसरी पत्नी को नहीं देखा है।

धारा–13 हिन्दू विवाह अधिनियम जैसा कि उत्तर प्रदेश में संशोधित है, के अनुसार अगर विपक्षी के द्वारा अर्जीदार के साथ ऐसी कोई क्रूरता का व्यवहार किया जाता है, जिससे अर्जीदार के मस्तिष्क में युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो, अर्जीदार के लिए अन्य पक्षकार के साथ रहना अपहानिकारक या हानिकारक होगी। ऐसीस्थिति में वह दूसरे पक्ष से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादिनी अपने पति को लगातार शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान कर रही है और वह बिना किसी कारण के उससे लगभग 10 वर्षों से दूर रह रही है।

दौरान बहस विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक प्रथककरण का आधार लिया गया है। दोनों पक्ष को न्यायिक प्रथककरण की डिक्री न्यायालय द्वारा प्राप्त होनी चाहिए, तभी धारा–13 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री लायी जा सकती है परन्तु प्रस्तुत मामले में किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रथककरण की डिक्री प्राप्त नहीं की गयी है। न्यायिक प्रथककरण की डिक्री एक वर्ष पश्चात यदि सहवास दोनों पक्षों में नहीं होता है तो पुनः प्रथककरण की स्थिति में न्यायिक प्रथककरण तलाक का आधार बन जाता है परन्तु प्रस्तुत मामले में न तो दोनों पक्षों में से किसी के द्वारा न्यायिक प्रथककरण की डिक्री करायी गयी है ऐसीस्थिति में प्रस्तुत मामले में विपक्षी के अधिवक्ता का तर्क लागू नहीं होगा। जहाँ तक पति को शारीरिक, मानसिक, क्रूरता का प्रश्न है वस्तुतः क्रूरता आचरण की कोई श्रेणी नहीं होती है और न उसका कोई विभाग ही होता है, क्रूरता जीवन तथा शरीर के अवयवों के लिए खतरनाक होना चाहिए, तभी उस आधार पर तलाक दिया जा सकता है। विवाह विच्छेद एक मान्य आधार बन चुका है। शारीरिक प्रताड़ना क्रूरता का आवश्यक तत्व नहीं रहा है। लगातार झूँठा आरोप लगाना शारीरिक प्रताड़ना से कहीं अधिक दर्दनाक तथा दुःखद हो सकता है। प्रस्तुत मामले में पति की वैवाहिक याचिका इस आधार पर आधारित है कि पत्नी प्रायः उसके ऊपर दूसरा विवाह करने का आरोप लगा रही है। जब कि इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य डी० डब्लू–1 स्वयं प्रतिवादिनी व डी०डब्लू–2 उसके भाई द्वारा कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य नहीं दिया गया है। केवल सुनी–सुनायी बातों के आधार पर पति पर मिथ्या आरोप लगाये गये है। ऐसा आधार क्रूरता के लिए पर्याप्त आधार है। ऐसीस्थिति में वैवाहिक सम्बन्ध कायम नहीं रह सकता है इस तरह का मिथ्या आरोप लगाना क्रूरता की श्रेणी में आयेगा।

जहाँ तक विवाह विच्छेद के आधारों में अभित्यजन का प्रश्न है। प्रस्तुत मामले में यह आवश्यक है कि अभित्यजन की शर्तों में से प्रथम अभित्यजन का तथ्य एवं द्वितीय अभित्यजन का आशय होना आवश्यक है। केवल वैवाहिक गृह को वापस आने का

प्रस्ताव अभित्यजन के कृत्य को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वैवाहिक सम्बन्ध एवं सहवास की समाप्ति पृथक रहने एवं अलग निवास अभित्यजन का अनुमान करने में आवश्यक कदम है। प्रस्तुत मामले में इन आवश्यक तत्वों को पति ने अपने साक्ष्य से साबित किया है। प्रस्तुत मामले में प्रतिवादिनी सन् 2010 से लगातार पति से पृथक रहकर गुजारा भत्ता प्राप्त कर रही है, जिससे विवश होकर के पति ने सन् 2014 में तलाक का मुकदमा दाखिल किया है साथ ही साथ उसके द्वारा कई प्रयास किये जाने के बाबजूद भी जब पत्नी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं रही, तब उसके द्वारा उपरोक्त मुकदमा कायम किया गया है। जहाँ तक अभित्यजन का प्रश्न है प्रस्तुत मामले में बिना किसी कारण के पत्नी अपने पति को लगभग 10 सालों से अभित्यजित किये हुए है और अपने मायके में रह रही है, वह अभित्यजन की श्रेणी में आयेगा। प्रस्तुत मामले में विवाह विच्छेद के आधारों में क्रूरता के साथ– साथ पत्नी द्वारा बिना किसी कारण के अभित्यजन किये जाने को साबित करने में पति अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सफल रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादिनी अब वादी के साथ पत्नी के रूप में रहने के लिए जनवरी 2010 से कतई तैयार नहीं है और प्रतिवादिनी सार्वजनिक रूप से वादी व उसके परिवार वालों को अपमानित करने के लिए, उक्त दिनांक को ही अपने मायके चली गयी और दुबारा पति के प्रयास करने के बाबजूद ससुराल नहीं आयी, जिससे पति को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा, तब विवश होकर के पति द्वारा तलाक का मुकदमा दाखिल किया गया। अतः वाद बिन्दु संख्या–1 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादिनी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–2</u>

वाद बिन्दु संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि **वादी किसी अन्य अनुतोष, यदि कोई, को प्राप्त करने का अधिकारी है?**

इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है।

यह वाद बिन्दु, वाद बिन्दु संख्या–1 में निकाले गये निष्कर्षों के परिणामों पर आधारित है। उपरोक्त वाद बिन्दु की विवेचना के पश्चात, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादिनी, वादी से अकारण ही स्वयं के कृत्यों से अलग रह रही है तथा प्रतिवादिनी

के व्यवहार एवं आचरण के कारण, वादी को शारीरिक व मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है। उभयपक्ष 10 साल से एक–दूसरे से अलग रह रहे हैं और दोनों में सहमति होने और साथ–साथ रहने का कोई आधार नहीं बचा है। अतः इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी को अन्य अनुतोष दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या–2 निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वाद बिन्दु संख्या–1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है, जिससे दोनों के मध्य विवाह होना प्रमाणित है साथ ही साथ विवाह के बाद दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का दायित्व प्रतिवादिनी द्वारा नहीं निभाया गया है और पत्नी द्वारा पति व उसके परिवार वालों के विरूद्ध घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता व गुजारा भत्ता बढ़ाये जाने व धारा–24 हिन्दू अन्तिरम गुजारा भत्ता का मुकदमा दाखिल कराया गया है तथा बिना किसी कारण के पत्नी द्वारा लगभग 10 वर्षों से मायके में रहा जा रहा है और अपने पत्नी धर्म का पालन भी नहीं किया गया है। पति–पत्नी दोनों के संसर्ग से कोई बच्चा भी नहीं है। उसके बाबजूद पति द्वारा लगातार लगभग 7 वर्षो से गुजारा भत्ता भी दिया जा रहा है, पत्नी द्वारा बिना किसी कारण के लगातार 10 वर्षो से अलग रहने के आधार पर पति के साथ मानसिक क्रूरता व अभित्यजन किया गया है जो कि तलाक के आवश्यक आधारों में शामिल है। इसी आधार पर वादी वाद बिन्दु सं01 को साबित करने में सफल रहा है और वाद बिन्दु सं01 वादी के पक्ष में और प्रतिवादिनी के विरूद्ध निर्णीत किया गया है। अतः इस प्रकार से न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर इस निष्कर्ष की है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत विवाह विच्छेद डिक्री होने योग्य है। प्रस्तुत मामले में स्थायी निर्वाह भत्ते (Parmanent alimoney) के रूप में प्रतिवादिनी को दिया जाना न्यायोचित होगा, जिससे वह अपना गुजर बसर मायके में रह कर कर सके।

आदेश

दावा वादी डिक्री किया जाता है। धारा–13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत, वादी सर्वेन्द्र सिंह व प्रतिवादिनी ममता के मध्य सम्पन्न हुए विवाह दिनांकिंत 02.07.1997 को विच्छेदित/खण्डित किया जाता है प्रतिवादिनी को स्थायी निर्वाह भत्ता

के रूप में वादी मु01,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) एक माह के अन्दर एकमुश्त प्रदान करे। उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगे।

दिनांक 19.03.2020 (राम किशोर)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कानपुर देहात।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 19.03.2020 (राम किशोर)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कानपुर देहात।